

एच- भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों के उम्मीदवारों से प्राप्त किए जाने वाले फॉर्म

अनुलग्नक I

फॉर्म - ए

सेवा-मुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए लागू प्रमाणपत्र का फॉर्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि नं..... रैंक नाम..... , जिसकी जन्मतिथि है, नेसेतक थल/जल/वायु सेना में सेवा की है।

2. इन्हें सैन्य सेवा से कार्यमुक्त किया गया है:

क) नियोजन के पूरा होने पर जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है

(i) बर्खास्तगी, या

(ii) कदाचार या अकुशलता के कारण डिस्चार्ज, या

(iii) बिना पेन्शन के उनके स्वयं के अनुरोध पर, या

(iv) इस प्रकार के कार्यमुक्ति को रिज़र्व पेंडिंगमें अंतरित नहीं किया गया है।

ख) सैन्य सेवा के दौरान शारीरिक अक्षमता के कारण।

ग) कम-से-कम पाँच साल की सैन्य सेवा करने के बाद इनवैलिडमेन्ट होने पर

3. वह भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर पुनः रोजगार) नियमावली, 1979, समय-समय पर यथा संशोधित, की परिभाषा के दायरे में आते हैं।

स्थान:

तारीख:

सील

जो पैराग्राफ लागू नहीं हो उसे हटा दिया जाए।

सक्षम प्रधिकारी का हस्ताक्षर

नाम और पदनाम**

फॉर्म - बी

सेना में कार्यरत कार्मिक हेतु प्रमाणपत्र का फॉर्म (ऐसे सेवारत कार्मिक के लिए जो एक साल के भीतर कार्यमुक्त होने वाला है)

- यह प्रमाणित किया जाता है कि नं.रैंक नाम..... थल/जल/वायु सेना में से कार्यरत है।
- वह अपने नियोजन की निर्धारित अवधि पूरी होने पर को कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हो जाएगा।
 - उसके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं है।

स्थान :
तारीख:
सील

सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर,
नाम और पदनाम**

फार्म - सी

ऐसे सेवारत सशस्त्र बल कार्मिकों द्वारा दिया जाने वाला वचनपत्र जो एक साल के भीतर कार्यमुक्त हो जाएंगे

(1) मैं समझता हूँ कि इस आवेदन का जिस भर्ती/परीक्षा से संबंध है उसके आधार पर यदि चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि नियुक्तकर्ता प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इस आशय का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करूँ कि सशस्त्र बलों से मुझे विधिवत कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त/डिस्चार्ज कर दिया गया है और मैं भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर पुनः रोजगार) नियमावली, 1979, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त होने वाले लाभों का पात्र हूँ।

(2) मैं यह भी समझता हूँ कि इस नियुक्ति से पहले यदि किसी भी समय मैंने रिक्तियों के लिए भूतपूर्व सैनिक को प्राप्त होने वाले आरक्षण की रियायत का लाभ लेते हुए सिविल साइड (सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, आदि सहित) में कोई रोजगार प्राप्त कर लिया है तो इस परीक्षा के तहत भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं रहूँगा।

स्थान:
तारीख :
उम्मीदवार का नाम और हस्ताक्षर

फॉर्म - डी

ऐसे सेवारत सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए अनुमेय प्रमाणपत्र का फॉर्म जो अपने आरंभिक नियोजन की अवधि पहले ही पूरी कर चुके हैं और जो विस्तारित नियोजन पर हैं।

यह प्रामाणिक किया जाता है कि नं. रैंक नाम..... , जिसकी जन्मतिथि है,से थल/जल/वायु सेना में सेवारत है।

2. वह को अपना पाँच वर्ष का आरंभिक नियोजन पहले ही पूरा कर चुके हैं और तक विस्तारित नियोजन पर हैं।
3. सिविल रोजगार हेतु उनके आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है और चयन हो जाने पर नियुक्ति प्रस्ताव पत्र की प्राप्ति की तारीख के बाद तीन माह के नोटिस पर उसे कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान:
तारीख:
सील

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर,
नाम और पदनाम**

** सशस्त्र बल कार्मिकों को आयु में रियायत का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार हैं:

(क) ECO/SSCO सहित कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में: थलसेना: सेना सचिव शाखा, थलसेना मुख्यालय, नई दिल्ली; जलसेना: कार्मिक निदेशालय, जलसेना मुख्यालय, नई दिल्ली; वायुसेना: कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ख) JCO/OR और इनके समकक्ष जलसेना और वायुसेना के मामले में: थलसेना: विभिन्न रेजिमेन्टल रिकार्ड कार्यालयों द्वारा; जलसेना: बीएबीएस, मुम्बई द्वारा; वायुसेना: वायुसेना रिकार्ड, नई दिल्ली द्वारा।

अस्वीकरण

किसी भी स्तर पर यदि यह पता चलता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंड / नियम पूरा नहीं करता है और / या यह कि उसने कोई असत्य / मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है, परीक्षा के दौरान अनुचित कार्यों में संलिप्त होता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि इनमें से किसी कमी / कमियों का पता नियुक्ति के बाद चलता है तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं। पात्रता, लिखित परीक्षा का संचालन, अन्य परीक्षण और चयन से संबंधित सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम होंगे और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होंगे। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी प्रत्यावेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

Government of _____
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____

Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt/Kumari _____ son/daughter/wife of _____
_____ permanent resident of _____, Village/Street _____ Post
Office _____ District _____ in the State/Union Territory _____ Pin
Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since
the gross annual income* of his/her 'family'** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial
year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

- I. 5 acres of agricultural land and above
- II. Residential flat of 1000 sq.ft and above.
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt/Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not
recognized as a Scheduled caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Office _____

Recent Passport
size of attested
photograph of the
applicant.

Name _____
Designation _____

***Note 1:** Income covered all sources i.e., salary, agriculture, business, profession etc.

****Note 2:** The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

*****Note 3:** The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Valid For The Year _____